

न्यायालय :- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)
शृंखला न्यायालय बैहर
(पीठासीन अधिकारी-माखनलाल झोड़)

Case No. S.T./64/2017
Filling No. ST/119/2017
CNR-MP50050002822017
संस्थित दिनांक-18.09.2015

म0प्र0 शासन द्वारा :-

आरक्षी केंद्र-परसवाड़ा जिला बालाघाट — — — अभियोजन ।

// / विरुद्ध // /

प्रकाश बिसेन पिता मुरलीधर उम्र 18 1/2 वर्ष जाति पंवार
निवासी-ग्राम बघोली थाना परसवाड़ा
जिला बालाघाट (म0प्र0) — — — — — अभियुक्त ।

=====

{न्यायालय:-श्री सिराज अली, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट
प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा आप.प्रक.क्र.-567/2015 म.प्र. शासन
बनाम प्रकाश बिसेन, में पारित उर्पापण आदेश दिनांक 02.09.
2015 से उत्पन्न सत्र प्रकरण }

=====

श्री डी0पी0 बिसेन, अधिकृत लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन।
श्री विकास श्रीवास्तव अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त-प्रकाश बिसेन

=====

— // // आदेश // // —
(धारा 232 द.प्र.सं. के तहत आज दिनांक 04.05.2017 को पारित)

1. अभियुक्त पर आरोप है कि दिनांक 10.05.2015 को करीब 3 बजे प्रातः थाना परसवाड़ा अंतर्गत वार्ड नंबर 9 परसवाड़ा से फरियादिया शिवानी की अवयस्क पुत्री अभियोक्त्री 16 वर्ष की विधिपूर्ण संरक्षता से अयुक्त संभोग करने के आशय से हटाकर व्यपहरण किया तथा उक्त अभियोक्त्री से शारीरिक संपर्क एवं अग्र क्रियाएं जिनमें अवांछनीय लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट

प्रस्ताव अंतरवलित है, के द्वारा अभियोक्त्री का लैंगिक उत्पीड़न किया एवं विवाह करने का प्रलोभन देकर अयुक्त संभोग करने के अभिप्राय से छूकर लैंगिक उत्पीड़न किया। जो धारा 363, 366क, 354क(1)(I) भा.द.वि. एवं धारा 11 सहपठित धारा 13 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध है, का विचारण किया जा रहा है।

2. मामले में स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियोक्त्री (अ.सा.1), शिवप्रसाद (अ.सा.3), गिलेश (अ.सा.4) का कहना है वे आप अभियुक्त को पहचानते हैं। श्रीमती शिवानी (अ.सा.2), शिवप्रसाद (अ.सा.3) की अभियोक्त्री पुत्री है। अखिल कुमार (अ.सा.6) निरीक्षक ने गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 14 द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया था जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त का मुलाहिजा फार्म प्र.पी. 15 द्वारा शासकीय अस्पताल परसवाड़ा में मुलाहिजा हुआ था।

3. अभियोजन के मामले का सार यह है कि दिनांक 10.05.2015 को 3:00 बजे वार्ड नंबर 9 परसवाड़ा थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट से प्रार्थिया शिवानी ने स्वयं की अवयस्क पुत्री के गुम होने की रिपोर्ट पुलिस थाना परसवाड़ा में लेख कराई, संदेही के रूप में प्रकाश बिसेन का नाम दर्ज कराया। अपराध क्रमांक 59/15 थाना परसवाड़ा ने दर्ज कर घटनास्थल का मौकानक्शा बनाया। दिनांक 12.05.2015 को प्रार्थिया की पुत्री को दस्तयाब कर नेहरू नगर मेडिकल के पास जबलपुर में दस्तयाबी पंचनामा बनाया, परसवाड़ा आकर प्रार्थिया की पुत्री के चिकित्सक परीक्षण हेतु आवेदन लेख किए जाने पर प्रार्थिया और उसके पति ने पीडिता का चिकित्सा परीक्षण न कराना लेख किया। प्रार्थिया की पुत्री का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। साक्षीगण के कथन लेख किए गए, अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाकर, गिरफ्तारी की सूचना दी गई, अभियुक्त का चिकित्सा परीक्षण कराया गया, प्रार्थिया की

पुत्री का धारा 161 द.प्र.सं. का कथन लेखबद्ध किया गया। प्रार्थिया के पुत्री के कथन की सी.डी. बनाई गई, अन्वेषण पूर्ण कर अभियोग पत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 363, 366क, 354क(1)(I) भा.द.वि. एवं धारा 11 सहपठित धारा 13 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का आरोप पढ़कर सुनाए, समझाए जाने पर उसने आरोप सुन, समझकर अपराध करना अस्वीकार किया, अभिवाक् लेख किया गया।

5. माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के किमिनल रिवीजन नंबर 2721/2015 आदेश दिनांक 16.03.2016 के द्वारा अभियुक्त को धारा 366A, 354 A (1) IPC and 11 r/w 13 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के आरोप अभिखंडित किया गया तथा धारा 363 भा.द.वि. के विचारण किए जाने का निर्देश किए जाने पर इस न्यायालय द्वारा धारा 363 भा.द.वि. के अपराध हेतु विचारण किया गया।

6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्या अभियुक्त ने दिनांक 10.05.2015 को करीब 3:00 बजे अंतर्गत थाना परसवाड़ा वार्ड नंबर 9 से अवयस्क अभियोक्त्री को उसके प्राकृतिक संरक्षक फरियादिनी शिवानी तिलासी की सहमति के बिना हटाकर व्यपहरण किया ?

विचारणीय प्रश्न का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-

7. मामले में दस्तयाबी पंचनामा प्र.पी.1, सहमति पत्र प्र.पी. 2, माँ की सहमति प्र.पी. 3, अभियोक्त्री का पुलिस कथन प्र.पी. 4, धारा 164 द.प्र.सं. के अधीन कथन प्र.पी. 5, प्रथम सूचना प्र.पी. 6, असहमति पत्र प्र.पी. 7, पटवारी के द्वारा बनाया गया नजरीनक्शा प्र.पी. 8, श्रीमति शिवानी का पुलिस कथन प्र. पी. 9, शिवप्रसाद का पुलिस कथन प्र.पी. 10, डिलेश पटले का पुलिस कथन प्र. पी. 11, ट्रेस नक्शा प्र.पी. 12, खजरी नकल प्र.पी. 13, अभियुक्त का गिरफ्तारी

पत्रक प्र.पी. 14, अभियुक्त का मुलाहिजा रिपोर्ट प्र.पी. 15, सी.डी. जप्त किए जाने का जप्तीपत्र प्र.पी. 16, न्यायालय प्रथम सूचना भेजी जाने की पावती प्र.पी. 17, प्रमोद कुमार (अ.सा.7) का पुलिस कथन प्र.पी. 18, प्रार्थिया की निशादेही पर बनाया गया घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी. 19 से प्रदर्श अंकित किए गए हैं। पुलिस कथन देना साक्षियों ने इंकार किया है। अन्य दस्तावेजों की पुष्टि अभियोजन साक्ष्य से नहीं है।

8. दीप्ती तिलाशी (अ.सा.1) ने साक्ष्य दी है कि आरोपी को पहचानती है, उसका मित्र है, आरोपी ने कोई अपराध नहीं किया है। आरोपी और वह दोनों साथ में जबलपुर में थे तब पुलिस ने पकड़ा था। सूचक प्रश्न के उत्तर में दिए गए सभी सुझावों को इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 5 में स्वीकार किया है कि उसे आरोपी प्रकाश शादी करूंगा ऐसा प्रलोभन देकर अपने साथ नहीं ले गया था। यह स्वीकार किया है कि वह जबलपुर अपनी मर्जी से अकेली गई थी, क्योंकि वहाँ साक्षी के रिश्तेदार रहते हैं।

9. प्रार्थिया श्रीमती शिवानी (अ.सा.2), प्रार्थिया के पति शिवप्रसाद (अ.सा.3), गिलेश पटले (अ.सा.4), प्रमोद कुमार (अ.सा.7) पक्षद्रोही हैं। इन साक्षियों के कथन में धारा 363 भा.द.वि. के अपराध के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है।

10. रणजीत सिंह सैयाम (अ.सा.5) हल्का पटवारी है। अखिल कुमार सिंह (अ.सा.6) उप निरीक्षक, निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह गडरिया (अ.सा.8), महल सिंह धुर्वे (अ.सा.9) प्रधान आरक्षक के कथनों से भी धारा 363 भा.द.वि. का अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

11. अतः धारा 363 भा.द.वि. के अपराध को प्रमाणित किए जाने हेतु अभिलेख पर साक्ष्य उपलब्ध न होने से अभियुक्त प्रकाश बिसेन को धारा 363 भा.द.वि. के आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

12. अभियुक्त के जमानत मुचलके अपास्त कर भारमुक्त किये जाते हैं।

13. अभियुक्त दिनांक 12.05.2015 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है तथा जमानत आवेदन क्रमांक 275/2015 में न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.2015 के आलोक में दिनांक 22.05.2015 को आज़ाद हुआ है। अभियुक्त दिनांक 12.05.2015 से दिनांक 22.05.2015 कुल 11 दिवस न्यायिक अभिरक्षा में रहा है। धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण-पत्र बनाया जावे।

14. मामले में ऐसी कोई संपत्ति जप्त नहीं है जिसका निराकरण धारा 452 द.प्र.सं. के अधीन किया जा सके।

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में पारित किया गया।

मेरे डिक्टेशन पर टंकित
किया गया।

सही / —

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
शृंखला न्यायालय बैहर

सही / —

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
शृंखला न्यायालय बैहर